न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 77 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
कौशलाराम पुत्र भाखराराम जाति विश्नोई निवासी राणासर कल्ला तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर	1. एलची पत्नी सत्यपाल 2. वरसींगा पुत्र भाखराराम 3. भीखा पुत्र हरभुज 4. सदराम पुत्र हरभुज 5. शान्ती पत्नी हरभुज जातियान विश्नोई निवासीयान राणासर कल्ला तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 6. एस बी आई शाखा भुणिया 7. तहसीलदार धौरीमन्ना

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 36 / 2021 बअनवान एलची बनाम कौशलाराम वगै. में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.05.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री छैलसिंह राठौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई रेस्पोडेंटस संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई रेस्पोडेंटस संख्या 02, 04, 05 की ओर से

निर्णय

दिनांकः—28.09.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। उतरदाता संख्या 01 एवं अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 02 से 05 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 354 रकबा 6.7016 हैक्टयर मौजा राणासर कल्ला तहसील धौरीमन्ना में आया हुआ है जिसमें वादीनी / रेस्पोडेंटस का वक्त खरीद से 1 / 2 हिस्सा चला आ रहा है तथा वक्त खरीद उक्त आराजी के पूर्व की तरफ का हिस्सा पर वादीनी का कब्जा काश्त वक्त खरीद से अनवर्तन चला आ रहा है। हस्तगत वाद में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत वाद में उपरोक्त हिस्सों की घोषणा कर अपीलकर्ता की गैर मौजूदगी में एकपक्षीय निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार धौरीमन्ना से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी तरफ से न तो जबावदावा पेश करने अवसर दिया तथा न ही शहादत पेश करने कोई अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को निर्णित करने से पूर्व कोई विवाद्यक बिन्दू कायम किये ही अपीलाधीन वाद को निर्णित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। विवाद्यकों को साबित करने हेतु दोनों पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध की जाकर एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये जाने के पश्चात ही प्रारम्भिक डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित था परन्तु हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त कानूनी बिन्दुओं का पालन नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। वादीनी का 1/2 हिस्से की भूमि का सदभावी क्रेता खातेदार है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा घोषित करना न्यायोचित है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में घोषित किया गया है। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अपीलांट दावे को लंबित करने की नियत से अपील पेश की गई है। अपीलांट सद्भाविक एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील रेस्पोडेंटस संख्या 02, 04, 05 ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम से रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन भिजवाये गये जिसकी तामील होने के पश्चात ए. डी. वापस लौटी जो पत्रावली पर मौजूद है। अपीलांट के नाम से जारी सम्मन को रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाया गया जो पर्याप्त तामील की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया बावजूद सूचना एवं तामील के जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंटस को नाहय तंग व परेशान करने की नीयत से हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 36/2021 बअनवान एलची बनाम कौशलाराम वगै. में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.05.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर